# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

क्रमांक:– राजस्व/2015/ 656 दिनांक :– 28.8.15

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,
टोंक।

विषय :– मिसिंग लिंक रोड दूनी–आंवा रोड से चांदली माताजी (5किमी0) के निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि का प्रत्यावर्तन बाबत्।

प्रसंग :– अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड टोंक के पत्रांक विबो/2015–16/1140 दिनांक 24.08.15 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासागिंक पत्र के संदर्भ एवं दूरभाष पर श्रीमान् कलेक्टर महोदय द्वारा दियें निर्देशों के सन्दर्भ में विषयक प्रकरण की जांच रिपोर्ट तहसीलदार देवली से ली गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, मिसिंग लिंक रोड दूनी–आंवा रोड से चांदली माताजी (5किमी0) का निर्माण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टोंक द्वारा करवाया जाना है। जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश विभाग द्वारा जारी हो चुके है। उक्त रोड के निर्माण होने पर दूनी तहसील के लगभग 20 गांव के किसानो को अपनी फसल सीधी कृषि उपज मण्डी समिति देवली में लाने के लिए सुविधा होगी तथा अन्य रास्तो के बजाय इस रोड से आने पर लगभग 15 किमी0 दूरी की बचत होगी। साथ ही धार्मिक आस्था के प्राचीन मंदिर चांदली माताजी से भी सीधा जुडाव होगा। परन्तु उक्त रोड वन विभाग की भूमि से गुजरता है। इस मिसिंग लिंक रोड के निर्माण में लगभग 2.10 है0 वन विभाग की भूमि का उपयोग होगा। ग्राम पंचायत चांदली एवं ग्राम पंचायत निवारिया द्वारा भी उक्त रोड निर्माण की सहमति प्रकट की है। उक्त भूमि के उपयोग के बदले वन विभाग के नजदीक एवं अतिक्रमण रहित ग्राम चांदली के आराजी खसरा नं0 2865 रकबा 0.39, खसरा नं0 2911 कुल रकबा 2.56 में से 1.71 कुल किता 2 कुल रकबा 2.10 है0 सिवायचक बंजड से हटाकर वन विभाग की सहमति से वन विभाग के नाम नियमानुसार नाम प्रत्यावर्तन कर दी जाती है। इस प्रत्यावर्तन पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

अतः वन भूमि के उपयोग के बदले नियमानुसार भूमि का प्रत्यावर्तन करवाने की रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– 1. प्रमाणित दस्तावेज एवं मौका रिपोर्ट
2. तहसीलदार एवं अधिशाषी अभियंता के पत्रो की छाया प्रति
3. ग्राम पंचायत चांदली एवं निवारिया के प्रस्तावों की छाया प्रति
4. रोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश की छाया प्रति

उपखण्ड अधिकारी
देवली

# कार्यालय तहसीलदार, देवली, टोंक (राज.)

क्रमांकः— राजस्व / 2015 / 423 दिनांक :— 28.8.15

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
देवली।

विषय :— मिसिंग लिंक रोड दूनी—आंवा रोड से चांदली माताजी (5किमी0) के निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि का प्रत्यावर्तन बाबत्।

प्रसंग :— अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड टोंक के पत्रांक विबो / 2015—16 / 1140 दिनांक 24.08.15 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रारागिंक पत्र के संदर्भ में विषयक प्रकरण की जांच की गई। मिसिंग लिंक रोड दूनी—आंवा रोड से चांदली माताजी (5किमी0) का निर्माण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड टोंक द्वारा करवाया जाना है। जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश विभाग द्वारा जारी हो चुके है। उक्त रोड के निर्माण होने पर दूनी तहसील के लगभग 20 गांव के किसानों को अपनी फसल सीधी कृषि उपज मण्डी समिति देवली में लाने के लिए सुविधा होगी तथा अन्य रास्तो के वजाय इस रोड से आने पर लगभग 15 किमी0 दूरी की बचत होगी। साथ ही धार्मिक आस्था के प्राचीन मंदिर चांदली माताजी से भी सीधा जुडाव होगा। परन्तु उक्त रोड वन विभाग की भूमि से गुजरता है। इस मिसिंग लिंक रोड के निर्माण में लगभग 2.10 है0 वन विभाग की भूमि का उपयोग होगा। ग्राम पंचायत चांदली एव ग्राम पंचायत निवारिया द्वारा भी उक्त रोड निर्माण की सहमति प्रकट की है। उक्त भूमि के उपयोग के बदले वन विभाग के नजदीक एवं अतिक्रमण रहित ग्राम चांदली के आराजी खसरा नं0 2865 रकबा 0.39, खसरा नं0 2911 कुल रकबा 2.56 में से 1.71 कुल किता 2 कुल रकबा 2.10 है0 सिवायचक बंजड से हटाकर वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन (अदला—बदली) कर दी जाती है। तो सार्वजनिक हित के लिए उपयुक्त रहेगा। इस प्रत्यावर्तन पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

अतः वन भूमि के उपयोग के बदले नियमानुसार भूमि का प्रत्यावर्तन करवाने की रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :— 1. प्रमाणित दस्तावेज एवं मौका रिपोर्ट
2. तहसीलदार एवं अधिशाषी अभियंता के पत्रो की छाया प्रति
3. ग्राम पंचायत चांदली एवं निवारिया के प्रस्तावों की छाया प्रति
4. रोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश की छाया प्रति

तहसीलदार
~~उपखण्ड अधिकारी~~
तहसीलदार
देवली (टोंक)

# मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 27-8-15 को मिसिंग लिंक रोड इनी आंवा रोड से चांदली माताजी के निर्माण हेतु लगभग 2.10 हेक्टर भूमि वन विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम चांदली के ख.न. $\frac{2865}{0.39}$ पूर्ण $\frac{2911}{2.56}$ मे से 1.71 हे. भूमि का मौका निरिक्षण किया। उक्त भूमि वन विभाग की भूमि से लगती हुई है, एवं मौके पर पड़त है, जिसको नक्शा रेखा पर लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है, अत: रिपोर्ट अग्रिम कारवाई हेतु पेश है,

(हस्ताक्षर)
पटवारी चान्दली
27/8/2015

(हस्ताक्षर)
पं. चांदली
27/8/15

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
देवली (टोंक)

नकल नक्शा ट्रेस शीट ग्राम चांदली तह. देवली जिला टोंक

पैमाना 1cm = 50 mtr

चांदली
27/8/2015

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर फोन : 2312402

प्रपत्र सं. पी. 26 (ए)
(देखिए नियम 13)

# केवल नकल उपयोग के लिए

आशिंक नकल
जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम ......चांदली...... पटवार क्षेत्र ......चांदली...... भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ......चांदली...... तहसील ......दूनी...... जिला ......टोंक...... राजस्थान सम्वत् 20 70 से 20 73 तक

| खेवट (खतौनी) संख्या | | भू-धारकों का नाम | काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति, निवास स्थान के पते सहित एव भू-धृत्ति का स्वरूप | खसरा संख्या | क्षेत्रफल | मृदा (भूमि) वर्गीकरण | सिंचाई का स्त्रोत | कृषक द्वारा | | सम्वत्............के लिए | | सम्वत्............के लिए | | सम्वत्............के लिए | | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नयी | पुरानी | | | | | | | दर सहित ब्यौरा | रकम | अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामन्तरकरण के आदेश की संख्या तथा दिनांक | भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है। | भूमि के ब्यौरे सहित अनुप्रमाणित नामन्तरकरण के आदेशों की संख्या तथा दिनांक | भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण को विशिष्टियां जिसके पक्ष मे भूमि अंतरित की गई है। | अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामन्तरकरण के आदेशों की संख्या तथा दिनांक | भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है। | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 1 | राज सरकार | सिवायचक काबिल काश्त | 2865 | 0.39 | बंजड़ | — | — | — | | | | | | | |
| | | | | 2911 | 2.56 | बंजड़ | - | — | — | | | | | | | |
| | | | : कुल किता | 2 | 2.95 | | | | | | | | | | | |

राजकार्य हेतु निशुल्क

सत्यप्रतिलिपि
P-35 क्रमांक 198 पर दर्ज
27/8/15
[signature]
प. चांदली